राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12566/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
बल्लभदास अग्रवाल 206, दीना नाथ जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप निदेशक राज. राज्य विधुत प्रसारण निगम लि. विधुत भवन जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री आलोक श्रीवास्तव, उप निदेशक, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 8-3-17 के द्वारा पत्रावली जो प्रेषण संख्या 889 दिनांक 10-2-12 से सचिव (प्रशासन) के कार्यालय में प्राप्त हुई की प्राप्ति रजिस्टर की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 24-5-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 28-3-17 से संसूचित कर दिया गया था कि सूचना के आवेदन में अंकित विशिष्टियों के अनुसार सम्बन्धित पत्रावली सचिव (प्रशासन) के कार्यालय में आना नहीं पाया जाता है। तदुनसार प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 24-5-17 से खारिज कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 11-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि सूचना के आवेदन के क्रम में प्रत्यर्थी द्वारा बिन्दु संख्या 3 के क्रम में स्पष्ट एवं सटीक विनिश्चय/सूचना का प्रेषण नहीं किया गया है।

8. अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 3 के क्रम में स्पष्ट एवं सटीक सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक भिजवाना सुनिश्चित करें।

9. अस्तु, वर्तमान अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त